

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न० 335/2022

प्रार्थी :- 1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा आमजन हितबद्ध

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60,
66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970


उपस्थिति :- प्रार्थी :- तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक :- 19.05.2023

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं के क्रम में प्रस्तुत कर ग्राम रातानाडा, पटवार मंडल खेड, भू.अ. निरीक्षक साजियाली पदमसिंह में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता (जो भी लागू हो) प्रस्तावित रास्ता भाटों की ढाणी डाम्बर सड़क से बाबूलाल पुत्र अनाराम की ढाणी तक कदीमी रास्ता चल रहा है । उक्त कदीमी रास्ता ग्राम रातानाडा, पटवार मंडल खेड, भू.अ. निरीक्षक साजियाली पदमसिंह के खसरा संख्या 1131/300 रकबा 400-00 किरम बा0 सोयम भूमि में ग्रेवल रास्ता चल रहा है को प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार भाटों की ढाणी डाम्बर सड़क से बाबूलाल पुत्र अनाराम की ढाणी तक चल रहे

ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता को सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी


19.5.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार



(2)

से परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर पत्र क्रमांक /राजस्व/2023/312 दिनांक 25.04.2023 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में मौके पर कदीमी रास्ता चालू है, रास्ता मौके पर अवरूद्ध नहीं है, रास्ता बाबत किसी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं है, रास्ता बाबत कोई विवाद नहीं है व आमजन से सम्बन्ध है। अतः प्रार्थी द्वारा मौके पर चल रहे रास्ता दर्ज करने की अनुशंसा की गयी।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया। बहस पर मनन किया गया जिसमें पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम जन इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं, जो आम जन से सम्बन्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।



उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र तहसीलदार पंचपदरा स्वीकार कर ग्राम रातानाडा, पटवार मंडल खेड, भूअ. निरीक्षक साजियाली पदमसिंह के खसरा नं. 1131/300 रकबा 400-00 किस्म बा0 सोयम भूमि में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी रास्ता भाटों की ढाणी डाम्बर सड़क से बाबूलाल पुत्र अनाराम की ढाणी तक चल रहे को प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार.....

(3)

रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते हैं।
उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान् के नाम खाते मे ही दर्ज
रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं
प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।



विवेक व्यास

(विवेक व्यास)

भू-अभिलेख अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.05.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

विवेक व्यास
19.5.2023

भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा